... पत्रावली वास्ते ... दिनांक 13/8/2020 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

13/8/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकील, प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर प्रा०पत्र 07 R11 की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 07 R11 हेतु दिनांक 27/8/2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर
27/8/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/9/2020 को पेश हो।
29/9/20	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य कार्य में [illegible] रहने के कारण कार्यवाही [illegible] की जा सकी पत्रावली दिनांक 23/10/2020 को पेश हो।
23/10/20	पत्रावली [illegible]। P.O. साहब राजकार्य [illegible] के कारण [illegible] जा सकी [illegible] 6/11/2020 को [illegible]।
6/11/2020	पत्रावली आज वास्ते पुनः बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश हुई। [illegible] वकुलाय से प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 [illegible] पर बहस उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सुनी गई। प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित
धारा 151 सी.पी.सी एवं अप्रार्थी/वादी की
ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं उभयपक्षों
के वकीलो की ओर से की गई बहस को सावधानी
पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC एवं जवाब
प्रार्थना पत्र का मनन करने पर एव अवलोकन
करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि
वादी ने न्यायालय के समक्ष जिस विवादित खसरा
न० 163/1 रकबा 0.1644 हे० वाकै ग्राम कानोता
के संबंध मे वाद पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा
न० कि यथास्थिति बनाए रखने का उच्च न्यायालय
ने स्थगन आदेश जारी कर रखा है। एवं स्थगन
आदेश का जमाबंदी पर नोट अंकित है। यानि
वादीगण ने न्यायालय के समक्ष जिस विवादित
आराजी के संबंध मे वाद पत्र प्रस्तुत किया है
वह पहले से ही उच्च न्यायालय से संबंधित है
एव वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना प्रार्थना
पत्र इस तथ्य को स्वीकार किया है कि माननिय
उच्च न्यायालय राजस्थान मे विवादित आराजी के
संबंध मे मामला / प्रकरण विचाराधिन है। एव
उच्च न्यायालय ने यथास्थिति का स्थगन आदेश
पारित कर [illegible] वादीगण की
ओर से [illegible]
16/8/201[illegible] रसार [illegible]
[illegible] होता है कि
वादीगण ने [illegible] मे भी प्रतिवादीगण को हैरान
परेशान करने की गरज से इसी तरीके का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2021.02.11 17:16:48 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

…क आज्ञा …र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष विवादित अराजी के संबंध में मामला विचाराधीन होने एवं उच्च न्यायालय द्वारा विवादित अराजी के संबंध में स्थगन जारी करने की वजह से उक्त वाद पत्र न्यायालय के समक्ष विधि की मंशा के विपरीत पेश प्रतीत होता है। अतः समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादीगण ने पूर्व की भांति सिर्फ प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त वाद पत्र पेश किया है। एवं प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत रूलिंग RNJ 2017 (1) Page (1) राजस्थान उच्च न्यायालय की उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः वादीगण का वाद विधि की मंशा के विपरीत होने एवं वादीगण को कोई संरक्षण वादकारण उत्पन्न नहीं होने व ~~वादीगण~~ प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया होने कारण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] होने पर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Ram Kumar Verma Date: 2021.02.11 17:16:48 IST Reason: SelfAttested उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर	

Scanned by CamScanner